बिहार सरकार

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

आउटसोर्सिंग के माध्यम से पटना युवा आवास के कैन्टीन संचालन हेतु अल्पकालीन निविदा

पटना युवा आवास, फ्रेजर रोड, पटना के कैन्टीन को आउटसोर्सिंग के माध्यम से चलाने हेतु ख्याति प्राप्त अनुभवी फर्म/कैन्टीन/होटल/रेस्तरा एवं कैटरर्स जिन्हें सरकारी क्षेत्रों में कार्य करने का अनुभव प्राप्त हो, से निम्नांकित शर्तों के अधीन दिनांक 06.02.2017 को मध्यान 12:00 बजे तक निदेशक, छात्र एवं युवा कल्याण, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना के नाम से द्वि–लिफाफा पद्धति के अंतर्गत तकनीकी एवं वित्तीय निविदा आमंत्रित किये जाते हैं। प्राप्त निविदा उसी दिन अपराह्न 2:00 बजे खोली जायेगी।

1. आउटसोर्सिंग फर्म का यह दायित्व होगा कि वह सुबह का नाश्ता, दिन का भोजन, रात्रि का भोजन, चाय एवं कॉफी, पटना युवा आवास में ठहरने वाले आगन्तुकों को उसी दर एवं गुणवत्ता के आधार पर आपूर्ति करायेंगे, जिस दर एवं गुणवत्ता पर बिहार भवन, नई दिल्ली में आपूर्ति की जाती है। उसके अतिरिक्त अन्य खाद्य सामग्रियों के दरों का निर्धारण करने के लिए आउटसोर्सिंग फर्म स्वतंत्र होगा।
2. निविदादाता के लिए यह आवश्यक होगा कि वह इस क्षेत्र में अथवा सरकारी संस्थान में गत् तीन वर्षों से अपने स्वतंत्र अस्तित्व में यह कार्य संपादित कर रहा हो। इस आशय का प्रमाण संलग्न करना होगा। पूर्व में सरकारी संस्थान में कार्यरत निविदादाता को प्राथमिकता दी जायेगी।
3. कैन्टीन के संचालन में आने वाले विद्युत/फर्नीचर एवं अन्य संगत अनावर्ती एवं आवर्ती व्यय संबंधित फर्म को वहन करना होगा।
4. सरकार/स्थानीय निकाय के अधिनियमों/नियमों के अनुपालन की जिम्मेवारी संबंधित फर्म की होगी।
5. सभी संबंधितों को आयकर का पैन नम्बर, वाणिज्य कर एवं श्रम विभाग का निबंधन संख्या संलग्न करना होगा। फर्म का वार्षिक टर्न ओभर कम से कम ₹ 50.00 लाख रुपये होना चाहिए।
6. संबंधित फर्म को तकनीकी निविदा के साथ ₹ 25.00 हजार रुपये का बैंक ड्राफ्ट, पटना युवा आवास, पटना के नाम से जो पटना में भुगतेय होगा, संलग्न करना आवश्यक होगा।
7. चयनित फर्म को पटना युवा आवास, पटना में संचालन हेतु कैन्टीन आवंटन की तिथि से एक वर्ष के लिए उपलब्ध करायी जायेगी। संतोषजनक संचालन की स्थिति में अनुबंध अवधि अधिकतम तीन वर्ष के लिये 10% प्रति वर्ष किराया बढ़ाकर विस्तारित किये जाने पर विचार किया जा सकता है।
8. सफल निविदादाता को आदेश प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर कैन्टीन का संचालन प्रारम्भ करना होगा।
9. वित्तीय निविदा में मासिक किराया के रूप में राशि अंकित किया जाना होगा। आदेश प्राप्त होने के एक सप्ताह के अंदर तीन माह का किराया अग्रिम स्वरूप जमा करना होगा।
10. पटना युवा आवास, पटना के कैन्टीन के आवंटन को आवश्यकतानुसार विस्तारित, रद्द अथवा परिवर्तित करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा तथा किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार भी विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाईट www.prdbihar.org पर देखा जा सकता है।

निदेशक,

छात्र एवं युवा कल्याण।

निविदा समर्पित करने की प्रक्रियाः—

लिफाफा संख्या—Iः निविदादाताओं के लिए लिफाफा सं0—1 में निम्नांकित क्रेडेंशियल्स देना अनिवार्य है:—

1. EMD एवं निविदा प्रपत्र का मूल्य (अगर Download Form है)।
2. Registered Company/ Partnership or Proprietor Ship Firm/ Registered Society/ Individual से संबंधित कागजात।
3. आवेदक की आर्थिक सुदृढ़ता का मूल्यांकन हेतु प्रमाण पत्र/विगत तीन वर्षो का वार्षिक Turn Over.
4. पैन कार्ड की छायाप्रति।
5. आवासीय पता का प्रमाण पत्र (यथा राशन कार्ड/चुनाव आयोग का पहचान पत्र/ विद्युत विपत्र/ड्राईविंग अनुबंध/पासपोर्ट की छायाप्रति);
6. E.P.F. Account No.Certificate की छायाप्रति;
7. E.S.I. Account No.Certificate की छायाप्रति;
8. Service Tax Account No.Certificate की छायाप्रति;
9. Food License की छायाप्रति;
10. V.A.T. Certificate की छायाप्रति;
11. Income Tax Return (3Years);
12. Experience In Hotel Restaurant Management (3Years) अथवा सरकारी संस्थान (3 वर्ष)
13. होटल में कार्यरत दक्ष स्टाफ एवं रेस्तरा से संबंधित मल्टीकुजिन (चाईनिज, मुगलई, इंडियन, साउथ इंडियन)के लिए अनुभवी/दक्ष कुक की उपलब्धता;

नोटः—उपरोक्त वर्णित सभी कागजात स्वअभिप्रमाणित संलग्न करना है।

जिसे निविदा प्रपत्र के एनेक्सर—'क' (संलग्न) के अनुसार जमा किया जाना है।

लिफाफे के उपर निविदा कार्य तथा लिफाफा सं0—I को लिखा जाना अनिवार्य है। अग्रधन की राशि लिफाफा संख्या—I में दिया जाना है।

लिफाफा सं0—II: निर्धारित प्रपत्र में निविदादाताओं को दर भरा जाना है। जिसे निविदा प्रपत्र के एनेक्सर—'ख' (संलग्न) के अनुसार जमा किया जाना है। लिफाफे के उपर निविदा कार्य तथा लिफाफा सं0—II को लिखा जाना अनिवार्य है।

दोनों ही लिफाफे को एक तीसरे एवं बड़े लिफाफे में मुहरबंद कर डाले जायेंगे।

निविदा की अन्य सामान शर्तेः—

1. निविदादाता को रेस्तरा/होटल संचालन का पूर्व अनुभव होना चाहिए।
2. सम्पदा यथावत् स्थिति में युवा आवास के इनभेन्ट्री द्वारा आवंटित किया जायेगा तथा वापसी के समय जिस स्थिति में उन्हें आवंटित किया गया है उसी स्थिति में युवा आवास के इनभेन्ट्री से मिलान कर वापस किया जाना है। इनभेन्ट्री में अन्तर होने पर निविदादाता से हर्जाना वसूल किया जा सकता है।
3. इस सम्पदा के संचालन के निमित आवश्यक फर्नीचर, उपस्कर, फर्निसिंग इत्यादि की व्यवस्था निविदादाता द्वारा अपने खर्च पर किया जायेगा एवं अनुबंध के समाप्ति के पश्चात् वैधानिक सभी राशि एवं यदि कोई बकाया राशि हो तो उसके भुगतान प्राप्ति के पश्चात् जमानत की शेष राशि वापस की जा सकेगी।
4. यदि निविदादाता निर्धारित अवधि में सुव्यवस्थित ढ़ंग से कार्यो का निष्पादन नहीं करते हैं, तो वैसी स्थिति में कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना को निम्न प्रकार से कार्रवाई करने का अधिकार होगाः—
   क. निविदादाता का अनुबंध कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुरूप रद्द कर दिया जायेगा।

ख. कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार द्वारा युवा आवास, पटना में जमा गारंटी राशि को जब्त कर लिया जायेगा।

5. वर्णित सम्पति का अनुबंध नियमानुसार व्यवसायिक आधार पर आगन्तुकों की सुविधा के लिए 01 वर्ष के लिए किया जायेगा।

क. द्वितीय पक्ष वर्णित सम्पत्ति के अनुबंध अवधि के द्वितीय वर्ष के अनुबंध राशि के समतुल्य जमानत की राशि सिक्यूरिटी के मद् में बैंक गारन्टी/एन.एस.सी./एफ.डी. प्लेज्ड कर कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना के रूप में जमा किया जायेगा।

ख. वित्तीय निविदा में मासिक किराया के रूप में राशि अंकित किया जाना होगा। आदेश प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर तीन माह का किराया अग्रिम स्वरूप जमा करना होगा।

6. यदि निर्धारित अवधि में निविदादाता द्वारा अनुबंध की राशि/मासिक किराया का भुगतान युवा आवास, पटना को नहीं करेंगे तो वैसी स्थिति में कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना को निम्न प्रकार से कार्रवाई करने का अधिकार होगा :-

क. निविदादाता का अनुबंध कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार रद्द कर देगा।

ख. कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार जमा जमानत की राशि को जब्त कर लेगा।

ग. प्रथम पक्ष अर्थात् कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार द्वारा द्वितीय पक्ष अर्थात निविदादाता के द्वारा वर्णित सम्पत्ति में रखे सभी सामानों एवं उपस्करों को जब्त कर लिया जायेगा।

घ. प्रथम पक्ष अर्थात् कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार द्वारा द्वितीय पक्ष अर्थात निविदादाता को ब्लैक लिस्ट कर देगा एवं प्रथम पक्ष द्वारा निकाले गये किसी निविदा में उन्हें भाग लेने नहीं दिया जायेगा।

7. अनुबंध की अवधि समाप्त होने पर अथवा अनुबंध के रद्द होने की स्थिति में यदि निविदादाता के पास कोई बकाया नहीं रहता है तो वैसी परिस्थिति में वे अपने खर्च से किये गये सामग्रियों को वापस ले जा सकेंगे। बकाये की स्थिति में सामग्रियों को जब्त कर लिया जायेगा।

8. निविदादाता आवंटित स्थल में किसी प्रकार के गैर कानूनी/प्रतिबंधित व्यवसाय नहीं करेंगे एवं आवंटित स्थल का उपयोग सिर्फ आगन्तुकों के सुविधा के लिए कैन्टीन संचालन हेतु करेंगे, जिसके लिये उन्हें आवंटित किया गया है। आवंटन प्राप्त करने के पश्चात् निविदादाता इसे संचालन की स्थिति में रखेंगे, इसे बन्द नहीं रखेंगे।

9. कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना द्वारा कैन्टीन हेतु निर्धारित जगह को छोड़कर अन्य किसी भी जगह में निविदादाता द्वारा साईनबोर्ड अथवा किसी प्रकार का प्रचार-प्रसार पटल नहीं रखा जायेगा और न ही आवंटित क्षेत्र के अतिरिक्त किसी जगह पर कब्जा किया जायेगा।

10. सम्पदा के परिसर एवं इसके आस-पास के क्षेत्र को स्वच्छ रखेंगे।

11. निविदादाता द्वारा अनुबंध अवधि में सभी प्रकार के सौन्दर्यीकरण एवं सामान्य रख-रखाव का कार्य अपने खर्च पर किया जायेगा।

12. निविदादाता द्वारा अनुबंध अवधि में किसी प्रकार की असावधानी के कारण हुये क्षति की भरपाई एक समय सीमा के अन्दर अपने खर्च पर किया जायेगा अन्यथा इस कार्य को कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा किया जायेगा एवं किये गये खर्च की प्रतिपूर्ति निविदादाता द्वारा 10%सूद के साथ की जायेगी। किसी प्रकार की आपदा से बचाव हेतु निविदादाता द्वारा बीमा कराया जा सकता है, जिसके प्रीमियम की राशि उन्हें स्वयं वहन करनी होगी।

13. निविदादाता द्वारा आवंटित सम्पत्ति का पूर्ण या आंशिक भाग को सबलेट नहीं किया जा सकता है। ऐसा पाये जाने पर उनके विरूद्व विधि सम्मत कार्वाई की जायेगी।

14. विभागीय प्रधान सचिव/निदेशक, छात्र एवं युवा कल्याण अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को निविदादाता द्वारा चलाये जा रहे संपदा आदि के निरीक्षण का अधिकार होगा।

15. निविदादाता द्वारा आवंटित परिसम्पत्ति आदि की सफाई–स्वच्छता आदि का ध्यान रखा जायेगा एवं निविदादाता द्वारा पर्यटकों/आगन्तुकों की भावना के अनुरूप उच्च एवं उचित स्तर पर ससमय सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी एवं आगन्तुकों से नम्रतापूर्वक व्यवहार किया जायेगा।

16. निविदादाता द्वारा आवंटन के एक माह के भीतर अपने खर्च पर स्वतंत्र रूप से अपने नाम से विद्युत कनेक्शन की व्यवस्था कर ली जायेगी एवं विपत्रों के भुगतान करने के पश्चात् अनुबंधकर्त्ता को उसकी सूचना देंगे। साथ ही जलापूर्ति की भी व्यवस्था अपने खर्च पर करेंगे।

17. विद्युत हेतु स्टैण्डवाई व्यवस्था, साइलेन्ट जेनरेटर आदि की व्यवस्था निविदादाता के द्वारा स्वयं अपने खर्च पर की जायेगी। निविदादाता द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जायेगा, जिससे पर्यावरण को क्षति पहुँचती हो।

18. निविदादाता के द्वारा किसी प्रकार का संवैधानिक भुगतान नहीं करने के कारण डिफॉल्टर होने पर निविदादाता 10% प्रतिमाह सूद के साथ अनुबंधकर्त्ता को वापस कर देंगे, अन्यथा अनुबंधकर्त्ता अनुबंध रद्द कर देगा।

19. निविदादाता से किसी प्रकार का बकाया ''बिहार एवं उड़ीसा'' पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी एक्ट के प्रावधानों के तहत सर्टिफिकेट केस के माध्यम से वसूल करने का अधिकार कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।

20. अनुबंध अवधि की समाप्ति के उपरान्त आवंटित सम्पति आदि को उसी अवस्था में सुर्पुद करेंगे जिस अवस्था में दिया गया था। किसी प्रकार का एडिशन एवं अल्ट्रेशन आदि विभागीय प्रधान सचिव/निदेशक, छात्र एवं युवा कल्याण, बिहार के पूर्वानुमति (लिखित) के बिना नहीं किया जाएगा।

21. निविदादाता के द्वारा अनुबंध अवधि की समाप्ति के पश्चात् किसी भी अवस्था में आवंटित सम्पत्ति आदि का संचालन नहीं किया जायेगा। निर्धारित अवधि के पश्चात् खाली किये जाने वाले अवधि तक पेनाल्टी के रूप में अनुबंध फीस के 10 गुणा राशि अनुबंधकर्त्ता को जमा करना होगा।

22. निविदादाता के द्वारा एकरारनामा के शर्त्तो के उल्लंघन की स्थिति में अथवा उनके द्वारा किसी प्रकार की जालसाजी एवं गलत सूचना के आधार पर निविदा प्राप्त किये जाने की स्थिति में संचालन हेतु अनुबंध अथवा पूर्व में किसी प्रकार के फौजदारी मुकदमें में सजायाफ्ता होने की जानकारी मिलने पर, अनुबंधकर्त्ता के द्वारा उनका अनुबंध रद्द कर दिया जायेगा एवं जमा सभी राशि भी जब्त कर ली जायेगी।

23. निविदादाता द्वारा अनुबंध के एकरारनामा से संबंधित सभी प्रकार के स्टाम्प ड्यूटी का खर्च वहन किया जायेगा।

24. आवंटन तिथि की गणना, एकरारनामा में वर्णित तिथि से की जायेगी एवं सारी वांछित राशि प्राप्त होने पर उक्त सम्पत्ति का प्रभार संचालन हेतु सौंपा जायेगा।

25. आवंटन प्रपत्र निर्गत होने के पश्चात् यदि समयानुसार राशि जमा नहीं की जाती है तो आवेदक द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी की राशि एवं अन्य जमा सभी राशि स्वतः जब्त समझी जायेगी।

26. आवंटन पत्र निर्गत होने अथवा आवेदन पत्र स्वीकृत होने के पश्चात् यदि आवेदक अस्वीकार करते हैं या कोई शर्त रखते हैं तो वह मान्य नहीं होगा और उनका अनुबंध रद्द कर दिया जायेगा एवं अर्नेस्ट मनी की राशि एवं अन्य जमा सारी राशि स्वतः जब्त समझी जायेगी।

27. जीर्णोद्धार के समय रेस्तरा को 2–3 महिने बंद करने का आदेश प्रदान किया जा सकता है।

28. आवेदक द्वारा संबंधित सम्पदा के संचालन के निमित रखे गये कर्मी कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के कर्मी नहीं कहलायेंगे, आवेदक की यह जिम्मेवारी होगी कि अपने अधीनस्थ रखे गये कर्मचारियों को श्रम कानून के अन्तर्गत निर्धारित अहर्तायें (E.P.F/E.S.I एवं अन्य) पूरा करेंगे एवं इसकी पूरी जबावदेही निविदादाता की ही होगी।

श्रम कानून से संबंधित सभी नियमों एवं प्रावधानों का कठोरता से पालन निविदादाता करेंगे। श्रम कानून से उठने वाले सभी प्रकार की जबावदेही निविदादाता की होगी।

29. आवंटित परिसर में किसी प्रकार के दुर्घटनाओं की जिम्मेवारी, निविदादाता की होगी तथा इससे संबंधित किसी भी प्रकार की वैधानिक जवाबदेही निविदादाता की होगी।

30. निविदादाता को वन एवं पर्यावरण तथा ध्वनि प्रदूषण से संबंधित सभी नियमों का अनुपालन करना होगा।

31. द्वितीय पक्ष अर्थात् निविदादाता उत्पाद कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे।

32. विभाग द्वारा निर्धारित एवं प्रचलित अनुबंध एवं आवंटन आदेश की अन्य सभी शर्तें यथावत् रहेगी। द्वितीय पक़्ष अर्थात् निविदादाता द्वारा निविदा नियमावली में उल्लेखित नियम एवं शर्त्ते एकरारनामा का हिस्सा होगा। इसे यथावत् अनुपालन की जायेगी।

33. रेस्तरा, Commercial Tax, Service Tax, VAT, व्यवसाय संबंधित अन्य कर एवं भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा लगाया गया अन्य कर का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जायेगा।

34. अनुबंध की अवधि में उपर्युक्त परिसम्पति को विभागीय हित में या राज्य सरकार हित में एक माह की नोटिस दे कर कार्यभार ग्रहण करने का अधिकार विभाग को होगा और ऐसी स्थिति में निविदादाता द्वारा जमा की गई राशि का समानुपातिक भाग निविदादाता को लौटा दिया जाएगा। किसी प्रकार का Damage Claim मान्य नहीं होगा।

35. द्वितीय पक्ष को 6 (छः) माह के नोटिस अथवा 6 (छः) माह की अग्रिम अनुबंध राशि का भुगतान युवा आवास, पटना को करते हुए सभी बकाया राशि का भुगतान कर अनुबंध से बाहर आने का अधिकार होगा।

36. प्रथम पक्ष (अर्थात् निदेशक, छात्र एवं युवा कल्याण, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना), अनुबंधकर्त्ता एवं द्वितीय पक्ष (अर्थात निविदादाता) के बीच किसी प्रकार के विवाद एवं मतभेद की स्थिति में सरकार के सचिव/प्रधान सचिव कला, संस्कृति एवं युवा विभाग आर्विट्रेटर होंगे। उनका निर्णय आर्विट्रेशन एण्ड री–कॉन्सीलियेशन एक्ट 1996 के प्रावधान के अन्तर्गत प्रथम एवं द्वितीय पक्ष को मान्य होगा।

निदेशक,
छात्र एवं युवा कल्याण,
बिहार।